अनुसूची 14 फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

छेदी पासवान प्रथम पक्ष

पक्ष

बनाम

अनिल मंडल वगैरह द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० 24/01/22 से 29/03/22 तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 14/22 सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24/01/22	आवेदक छेदी पासवान पे० कुलन पासवान, साकिन–बड़की सरिया, थाना–सरिया, जिला–गिरिडीह के द्वारा प्राप्त आवेदन जिसका मौजा–बड़की सरिया, थाना–सरिया, जिला–गिरिडीह के अंदर खाता नं0–37, प्लॉट नं0–15, रकवा–82 डी0, चौहद्दी: उ0–खुबिया कायेरी वगै0, द0–टांड बकास्त, पू0–जंगल साखु, प0–रोजन कोयरी दर्ज है। जिसपर निषेधाज्ञा करने की मांग की गई। अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी से प्रतिवेदन मांगें। T0 3/2/22 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

...श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभीलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी 242/22 सरिया के पत्रांक 245/22 दिनांक 30/01/22 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भुमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भग होनें की आशंका हैं एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खुन खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से में संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 10/2/22 को करण–पृच्छा की मॉग की जाती है कि क्यों नही एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बगोदर–सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

(3)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.2.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 17-02-2022 को रखें। प्रथम पक्ष की ओर से I PCC की धारा 188 हेतु आवेदन दाखिल जांच हेतु Co/ok को गयी।	
17/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। to 24/02/22	
24/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। to 03/03/22	
03/03/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। TO 10/03/22	
10/03/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। To 24/03/22	

(4)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24-03-22	प्रथम पक्ष अधिवक्ता उपस्थित / द्वितीय पक्ष अनुपस्थित / प्रथम पक्ष को सुना / आदेशार्थ ह० 24/3	
28/3/22	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थित। आवेदक के अनुसार प्रक्रिया की भूमि सर्वे खतियान में गुरुदयाल गोड़ाईत के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष के सदस्यगण एवं उनके पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज रहे हैं तथा सरकारी मालगुजारी देते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण प्रक्रिया की भूमि पर जबरन मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान की छायाप्रति एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।	

(5)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। थाना प्रभारी, सरिया के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रक्रिया की भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा है तथा उनके नाम से सरकारी रसीद एवं कागजात निर्गत है। उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निषेध घोषित किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। ह०/- [illegible] SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.10.17 14:41:37 +05:30
Location: 192.168.1.7